परिशिष्ट 15

जिला कलेक्टर मनोनयन द्वारा प्राप्त किए जाने हेतु प्रपत्र

राजकीय विभागों / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / शालाओं इत्यादि के लिए राजस्थान भू-राजस्व (संस्थाओं को स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य पवित्र निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का ऑवटन), (नियम 1963)

1. प्रार्थी संस्था का नाम :- जल संसाधन विभाग उपखण्ड झुन्झुनूं
2. ऑवटन का प्रयोजन : मनसा माता एनिकट निर्माण
(पाठशाला होने की स्थिति में स्तर अंकित करें) —
3. क्या इसी प्रयोजन विशेष के लिए-पूर्व में भूमि आवंटन हुआ है, यदि हां तो इसका विवरण :- नहीं
4. क्या पूर्व में ऑवटित भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है? — NA —
5. प्रस्तावित प्रयोजन के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था की हुई है? —
6. विषयान्तर्गत 1963 के नियम 2 के तहत निर्धारित मानदण्ड। —
7. यदि विभाग के द्वारा कोई मानदण्ड निश्चित किये गये है, तो उसका विवरण :- —
8. मानदण्डों से अधिक भूमि चाहे जाने पर अथवा कोई मानदण्ड निर्धारित नही होने पर प्रस्तावित क्षेत्रफल का औचित्य। —
9. ऑवटन हेतु चाही गई भूमि का विवरण :
(1) तहसील का नाम उदयपुरवाटी
(2) ग्राम का नाम रावड़
(3) खसरा नम्बर 21, 44 47, 48, 49, 56, 1302/21 तथा 1552/21
(4) भूमि की किस्म: गैरमुमकिन पहाड़, बंजर-2, गैरमुमकिन नाला, गैरमुमकिन नाला 1.00 तथा गैरमुमकिन पहाड़ 0.58, गैरमुमकिन आबादी, गैरमुमकिन नाला 0.18, गैरमुमकिन पहाड़ 1.45, बंजर-2 31.64, गैरमुमकिन आबादी, गैरमुमकिन चारागाह
(5) खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल क्रमशः- 144.08, 36.27, 2.27, 1.58, 1.08, 33.27, 0.56, 38.82
(6) प्रस्तावित क्षेत्रफल क्रमशः- 0.1599, 0.4152, 0.4229, 0.7365, 0.2830, 0.1153, 0.0673 तथा 9.2729 कुल 11.4730 है०
(7) जमाबन्दी खसरा व नक्से की प्रति संलग्न है। जी हाँ / नहीं
(8) प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है अथवा नहीं (पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न करें)
10. यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो :-
(अ) पशु संख्या 4241
(ब) प्रस्तावित ऑवटन के पश्चात ग्राम में उपलब्ध चारागाह भूमि। = 60.5171 है.
(स) पशुओं के अनुपात में चारागाह भूमि पर्याप्त है। — हां
(द) यदि नहीं तो चारागाह की वैकल्पिक व्यवस्था। — NA —
11. भूमि नगर पालिका में स्थित है या ग्राम पंचायत में (नाम लिखे) ग्राम पंचायत मनसासर
12. स्थानिय क्षेत्रों में स्थित होने पर नगर नियोजन विभाग की सहमती संलग्न करें। —
13. स्थानीय निकाय की निरापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रस्ताव की प्रति संलग्न करें। संलग्न है।
14. क्या प्रस्तावित प्रयोजन के लिए विभाग को पशुतिनिय / वित्तिय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? हां
15. क्या नगर का मास्टर प्लान बन चुका है? —
16. यदि स्वीकृति प्राप्त नही हुई है तो भूमि पर निर्माण किस प्रकार होगा? —
17. यदि निर्माण पूर्व में हो चुका तो अंकित करें। —
18. पूर्व में सहमति प्राप्त नही करने का कारण। —
19. जिला कलेक्टर की राय-
गैरमुमकिन वन भूमि 1.8498 है आबादी भूमि 0.3503 है
चारागाह भूमि 9.2729 कुल भूमि 11.4730 है ऑवटन
की अनुशंसा की जाती है।

तहसीलदार
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं) 11.9.2020

पटवारी
पट मनसासर
11.9.2020

हस्ताक्षर जिला कलेक्टर

जल संरक्षण किसान उपकर झुन्झुनू

संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र व अन्य विवरण —

संस्था का गत 3 वर्ष का आय व्यय का विवरण —

संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत एवं आर्थिक संसाधनों का विवरण —

6. क्या उक्त संस्था को उक्त क्षेत्र में अनुभव है? उसका विवरण —

7. संस्था को भू-आवंटन का प्रयोजन एवं संबंधित विभाग की सहमति/अभिमत एवं मान्यता मनरेगा मा. सहायक निदेशक

8. संस्था द्वारा नॉर्म्स से अधिक भूमि चाहे जाने पर उसका औचित्य —

9. क्या संस्था को पूर्व में कभी इस जिले में भूमि आवंटित की गई थी? यदि हां तो उसका विवरण

10. परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को मिले? व क्या लाभ मिलेगा? सभी वर्गों को

11. संस्था द्वारा चाही जा रही भूमि का विवरण-राजस्व ग्राम का नाम, ख.न., किस्म, क्षेत्रफल मय जमाबंदी व राजस्व नक्शे के

12. संस्था को आवंटन की जाने वाली भूमि की प्रस्तावित दर

13. आवेदक द्वारा चाही गई रियायत का विवरण — राजकीय उच्च विद्यालय [illegible] 21 वर्ग मी. के

14. प्रस्तावित भूमि की कुल लागत — रकबा 11-4730 है. आवंटन हेतु उपमाण्डी संलग्न

15. चाही गई भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर —

16. क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचारधीन है या स्थगन आदेश तो नहीं? नहीं

17. क्या भू-उपयोग परिवर्तन होना है? भूमि की श्रेणी (ग्रामीण, नगरीय परिधीय भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से दूरी) —

18. क्या भूमि पर निर्माण पूर्व से है? नहीं

19. भूमि पर अतिक्रमण हो तो उसका विवरण नहीं

20. क्या भूमि कमाण्ड क्षेत्र में है? नहीं

21. भूमि आवंटन के प्रस्ताव के साथ संलग्न रिकार्ड जमाबंदी-राजस्व नक्शा-तहसीलदार की रिपोर्ट व अन्य आवश्यक रिपोर्ट संलग्न

22. क्या प्रस्तावित भूमि चारागाह है यदि हां? तो पंचायत का प्रस्ताव -

1. ग्राम पंचायत की राय/अनापत्ति मय ग्राम संलग्न है या नहीं संलग्न
2. ग्राम के पशु अनुपात में चारागाह भूमि पर्याप्त है या नहीं हां
3. ग्राम में पशुओं की संख्या 4241
4. ग्राम में चारागाह हेतु उपलब्ध भूमि रकबा - 69.7900
5. क्या पूर्व में 4 है. से ज्यादा चारागाह भूमि आवंटित की गई है नहीं

23. यदि संबंधित भूमि नगरीय क्षेत्र या पैराफेरी क्षेत्र में है तो क्या निकाय की एन.ओ.सी. संलग्न है ग्राम पंचायत

24. भूमि नगरीय क्षेत्र में होने पर नगर नियोजक विभाग की राय —

27. प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की तो नहीं है नहीं

28. क्या उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में कोई भूमि आरक्षित है अथवा नहीं? नहीं

29. प्रस्तावित भूमि पर भूमि अवाप्ति अथवा अन्य किसी कारण के आवंटन की कार्यवाही जैरकार है अथवा नहीं? नहीं

30. प्रस्तावित भूमि की मौके की रिपोर्ट किस प्रयोजन हेतु काम में ली जा रही है। [illegible]

31. प्रस्तावित भूमि विशेष आवंटन हेतु अधिसूचित तो नहीं है - नहीं

32. प्रस्तावित रकबा किसी परियोजना क्षेत्र का नहीं है? नहीं

33. क्या प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित किये गये हैं? हां

34. किन रूल्स के तहत आवंटन प्रस्ताव प्रेषित किये गये है? नियम 1965

35. आवंटन के बाबत आपका अभिमत।

भूमि आवंटन की अभिशंषा की जाती है/नहीं की जाती है।

11-9-2020

तहसीलदार
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)